छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 206/2009

1. श्री जय कुमार, – शिकायतकर्ता
सी–पाकेट, 3/डी, मरोदा सेक्टर,
भिलाई नगर, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – अनावेदक
शाखा प्रबंधक, भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्या0
सेक्टर–6, भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 18 जून, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता जय कुमार द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, शाखा प्रबंधक, भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्या0, भिलाई, जिला–दुर्ग के समक्ष दिनांक 11.12.2008 आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पर दिनांक 29.12.2008 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नागरिक सहकारी बैंक द्वारा उन्हें उत्तर दिया गया कि उन्हें कोई शासन से अनुदान प्राप्त नहीं होता, इसलिए उनके बैंक पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता। इससे असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 24.02.2009 को यह शिकायत प्रस्तुत की है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा मौखिक तर्क में यह कहा गया कि उन्हें जनहित में नियमित कर्मचारियों की छटनी के बारे में कुछ बिन्दुओं पर जानकारी मॉगी गई थी और सूचना का अधिकार के तहत् उन्हें यह जानकारी दी जाना चाहिए। अनावेदक की ओर से पंजीयक, सहकारिता द्वारा विधि विभाग की राय लगाते हुए और साथ में आयोग के पूर्व निर्णय दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 की प्रति लगाते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि उनके बैंक को शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है, अतः अधिनियम के अन्तर्गत बैंक लोक प्राधिकारी की परिभाषा में नही आता और इस प्रकार से उन पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। उनका यह तर्क सही है कि सीधे वे लोक प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं और उन पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है, किन्तु अधिनियम की धारा–2(च) के अन्तर्गत ऐसी सूचना जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, वे भी सूचना की श्रेणी में आते है और चूंकि यह लोक हित से संबंधित मामला है, अतः निश्चित रूप से पंजीयक, सहकारिता छत्तीसगढ़ जिनके प्रशासकीय नियंत्रण में यह जानकारी संबंधित बैंक से बुलाने का अधिकार सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत आता है। वैसे तो शिकायतकर्ता बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा पंजीयक, सहकारिता छत्तीसगढ़ को सूचना का अधिकार का आवेदन देकर सीधे प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी यह आवेदन अधिनियम की धारा–6(3) के अन्तर्गत पंजीयक, सहकारिता की ओर इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वे अधिनियम की धारा–2(च) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उक्त नागरिक सहकारी बैंक से इस आवेदन की जानकारी प्राप्त करें और तत्पश्चात् शिकायतकर्ता को उस जानकारी से अवगत कराये। प्रकरण में किसी प्रकार की शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं है।

3/ उक्त निर्देशों के साथ यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com